न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा (म0प्र0)

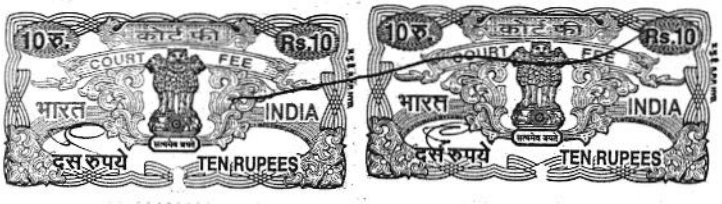

R 2594-I/12

महन्त संतोषदास भगवान मुरली मनोहर मंदिर बड़ा अखाड़ा बहोरियन तालाब बिरसिंहपुर, तहसील–बिरसिंहपुर, जिला–सतना (म0प्र0)

क्रमांक 2087
~~रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा~~ आज
दिनांक 26.7.12 को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

———निगरानीकर्ता

बनाम्

1. श्री लक्ष्मी प्रसाद तनय श्री रामदास गौतम, निवासी– बिरसिंहपुर, तहसील–बिरसिंहपुर, जिला–सतना (म0प्र0)
2. शासन म0प्र0, द्वारा– भगवान मुरली मनोहर मंदिर, सभापुर,
3. श्री रामनरेश पाण्डेय निवासी–बिरसिंहपुर, तहसील बिरसिंहपुर, जिला–सतना (म0प्र0)
4. अध्यक्ष, भगवान मुरली मनोहर मंदिर व्यवस्था समिति बहोरियन तालाब बिरसिंहपुर, तहसील बिरसिंहपुर, जिला–सतना (म0प्र0)

———गैरनिगरानीकर्तागण

अधिवक्ता श्री राजेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रस्तुत। रीवा दि0 16.07.2012
16.7.12

न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर, जिला–सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.12 प्रकरण क्र0 66/निगरानी/09–10 में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी याचिका.

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन निगरानी याचिका ।

निगरानीकर्ता का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :–

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।
2. अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार के आदेश दिनांक 13.08.09 ~~की~~ की निगरानी के रूप में सुनवाई की अधिकारिता ही नहीं थी, क्योंकि तहसीलदार का आदेश अंतिम प्रकृति का था, जिसकी अपील धारा 44(1)

176

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–2594-I/12 जिला - सतना

महन्त सन्तोषदास/ लक्ष्मी प्रसाद गौतम

(1)	(2)
19.12.18-	1. आवेदक की ओर से श्री श्रवण पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 66/निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 12.06.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य